**विवरण**

| संस्थान | केन्द्र का नाम |
|---|---|
| भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान | 34 |
| राज्य कृषि विश्वविद्यालय | 22 |
| अन्य विश्वविद्यालय | 4 |
| स्वैच्छिक संस्थान | 47 |
| अन्य संगठन | 9 |
| | 116 |

(ग) जी हां, श्रीमन्। वर्ष 1985-86 के लिए प्रमाणित/क्वालिटी बीज की कुल अनुमानित मांग 60.03 लाख क्विंटल थी जिसकी उपलब्धता 63.95 लाख क्विंटल है।

**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में कार्यशाला**

1309. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जनवरी, 1986 से 25 जनवरी, 1986 तक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी ; यदि हां, तो आमंत्रित किये गये संसद् सदस्यों की संख्या कितनी है और भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उन केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और कृषि विभाग के अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस कार्यशाला में भाग लिया था और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस कार्यशाला में भाग नहीं लिया था ;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किसी विद्वान तथा अन्य व्यक्तियों ने इसमें भाग नहीं लिया था ;

(घ) क्या कोई रिपोर्ट तैयार की गई थी, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि उक्त संस्थान में कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया था ?

**कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (ग) जी हां, संसदीय कार्य विभाग के परामर्श के अनुसार तीस संसद सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। वास्तव में 15 सदस्यों ने कार्यशाला में भाग लिया था। इस कार्यशाला में भाग लेने के लिये केवल संसद सदस्यों को ही आमंत्रित किया गया था। चूंकि यह कार्यशाला केवल उनके लिये ही आयोजित की गई थी। अतः अन्य गैर-सदस्यों के भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के संकाय ने इस कार्यशाला का आयोजन किया था। प्रो० गौतम माथुर, निदेशक, व्यावहारिक जन शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा प्रो० एन० जी० रंगा, संकाय अतिथियों के रूप में थे।

(घ) कार्यशाला के मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सारांश संलग्न है (**नीचे देखिए**)।

(ङ) कार्यशाला भाग लेने वालों को ग्रामीण विकास की नीति संदेशों के बारे में जानकारी देने के लिये एक सप्ताह की अल्पावधि के लिये आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला के आयोजन के लिये अपनाई गई पद्धति वही थी जो कार्यशाला के आयोजन के लिये अपनाई जाती है, जिसमें ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने और बेहतर जानकारी के लिये क्षेत्रीय दौरे करने की व्यवस्था थी। तदनुसार एक क्षेत्रीय दौरे का आयोजन किया गया था।

**विवरण**

**मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सारांश**

1. कार्यशाला में ग्रामीण निर्धनों को संगठित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का समर्थन किया गया।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए ताकि

ग्रामीण निर्धनों को और अधिक प्रभावकारी ढंग से इसके लाभ प्राप्त हो सकें । विभिन्न क्षेत्रों में उपादान घटक को लोगों की क्रय क्षमता के साथ जोड़ा जा सकता है ।

3. सामाजिक आवश्यकता तथा रोजगार क्षमता के कारण आवास को और अधिक वरीयता देने की आवश्यकता है। कम लागत वाले मकानों के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी का और अधिक विकास किया जाए तथा उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया जाए । टिकाऊपन पर अनावश्यक बल देने की आवश्यकता नहीं है । व्यक्तिगत पहल तथा ग्रुप सहकारी सोसाइटियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

4. पंचायती राज ग्रामीण विकास के लिए एक आवश्यक तंत्र है । जिला शासन की संकल्पना तथा त्रि-स्तरीय प्रजातंत्र प्रणाली को विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया है । कार्यशाला में यह भी विचार व्यक्त किया गया कि उपयुक्त संवैधानिक मंजूरी से पंचायती राज को एक मजबूत आधार मिलेगा । भारत सरकार भी पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक मजबूती तथा गति देने के लिए और अधिक उपाय करेगी ।

5. कार्यशाला में ग्रामीण विकास हेतु संसाधनों के और अधिक आबंटन पर बल दिया गया । तथापि, ग्रामीण तथा शहरी विकास एक दूसरे के काफी पूरक हैं । अतः ग्रामीण विकास के लिए ठोस औद्योगिक आधार तथा आधारभूत सम्पर्कों को आवश्यक माना गया है । सेवा केन्द्र आयोजना तथा मंडल पंचायत के विकास की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । इसी संदर्भ में सेवा अथवा विकास केन्द्रों की संकल्पना का समर्थन किया गया। आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा निवेश उपलब्ध कराकर इस प्रकार के केन्द्रों का विकास किया जाना है । कृषि विकास तथा ग्रामीण औद्योगिकीकरण दोनों ही इसके अभिन्न अंग बन गए हैं ।

6. औद्योगिक विकास में प्रभावकारी प्रगति के बावजूद केवल कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के माध्यम से ही ग्रामीण बेरोजगारी को महत्वपूर्ण रूप से कम किया जा सकता है । यह महसूस किया जाता है कि लगभग जापानी पद्धति पर प्रति एकड़ श्रम गहनता में वृद्धि करके हम ग्रामीण रोजगार के मामले में सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।

7. कार्यशाला में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की सहायता से हुई उपलब्धियों की प्रशंसा की गई । तथापि, पुनरावृत्ति से बचने के लिए इन दोनों कार्यक्रमों को मिलाने का सुझाव दिया गया था । यह देखा गया कि इन दोनों कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निधियों की पद्धति अलग-अलग है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में 50:50 तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत है । दोनों कार्यक्रमों को मिलाने पर केन्द्रीय अंश 75 प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है ।

रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न उचित दर की दुकानों के माध्यम से दिए जाने चाहिएं । इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ।

8. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सफल उपलब्धियों के बावजूद कुछ कदाचार के मामले भी सामने आए हैं । कार्यशाला में सुझाव दिया गया कि विकास

पत्रिका की प्रणाली, समय-बद्ध कार्यनिष्पादन लक्ष्य तथा गांव सभाओं द्वारा लाभार्थियों के चयन से इस स्थिति में काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है ।

9. जिला स्तर पर विकास व्यवस्था के निष्पादन स्तरों में सुधार लाने के लिए एक सामूहिक जिला बजट की संकल्पना की गई । जिसमें निर्धारित योजनाओं के लिए निर्धारित निधियों तथा शेष मदों के लिए एकमुश्त अनावंटित निधियों की व्यवस्था की जाए और साथ ही प्रजातांत्रिक रूप से गठित जिला प्राधिकारी, जिसे आवश्यक व्यवस्था करने के अधिकार होंगे, को शामिल किया जाए । इससे काफी प्रशासनिक सुधार होने की आशा है । कार्यशाला में इस संकल्पना का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की सिफारिश की गई ।

10. "भारी उद्योग" माडल के सम्बन्ध में विचार-विमर्श को जटिलता में न जाते हुए कार्यशाला में इस बात का समर्थन किया गया कि सामाजिक उपभोग की वस्तुओं पर और अधिक ध्यान देने से कई वर्षों से सामने आ रही जटिलताओं को कम करने में सहायता मिलेगी । अनाज, कपड़ा तथा आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अधिक आवंटन आवश्यक है । इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त पूंजी निवेश तथा आर्थिक सहायता दी जाए ।

11. बीजों की किस्म में सुधार लाने की आवश्यकता है । इसी प्रकार कीटाणु-नाशक दवाइयों की वृद्धि के सम्बन्ध में अधिक क्वालिटी नियन्त्रण की भी आवश्यकता है ।

12. वैज्ञानिक तरीके से खेती के साथ-साथ शुष्क भूमि पर खेती की क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है । कृषि क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन लाने हेतु बेहतर जल प्रबन्ध के साथ बहुउपज प्रणाली पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

13. व्यापक आधार पर खेती किए जाने के बावजूद बंजर भूमि वाला क्षेत्र अभी भी बहुत बड़ा है । कार्यशाला में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई ।

14. हमारी कृषि-नीति का एक कमजोर पहलू यह है कि छोटे तथा सीमान्त किसानों के उत्पादन स्तर तथा भूमि की अधिक जोतों वाले किसानों के उत्पादन स्तर में अन्तर है । मोटे तौर पर पहले दर्जे के किसानों की उत्पादकता दूसरे दर्जे के किसानों के उत्पादन से आधी है । कृषि विस्तार सेवाएं मुहैया करने, उपज की ढुलाई की व्यवस्था करने तथा पूंजी निवेशों का प्रावधान करने के सम्बन्ध में इन किसानों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । कृषि को एक उद्योग के रूप में आकर्षक बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में आवश्यक पहल की जानी चाहिए ।

**Cable T.V.**

1310. SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the cable T.V. has been introduced in some cities in the country; •

(b) what steps, if any, are being taken by Government to prevent the misuse of cable T. V.; and

(c) whether there is any plan under Government's consideration to intro duce cable T.V. in Delhi?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) It has been reported that private distribution of TV programmes through cables has been introduced by some organisations.

(b) Exhibition of TV programmes offending against the provisions of Copyright Act, Cinematograph Act, etc., whether using cable networks or otherwise, can be dealt with by the local authorities enforcing these Acts. Moreover, if a cable carrying TV